## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी : – अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 50/2022

उनवान

1. किशन पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— वादी जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मैना पत्नी गोपाल,
2. संतोष पत्नी प्रभु,
3. रूपा पुत्र भोमा,
4. कम्मा,
5. मांगू पि0 भोमा जाति रावत नि0 देराठू, नसीराबाद,
6. मैनेजर बैक आफॅ बडौदा शाखा राजगढ, नसीराबाद,
7. उप पंजीयक, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित
7 व 8 जरियें राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित
धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

–: निर्णय :– दिनांक :– 2.1.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गाम देराठू में स्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :–

| चौसाला खसरा न0 | रकबा | वर्किंग खसरा नम्बर | रकबा | हाल खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 7–9–0 | 2649 | 12–5–0 | 4350 | 1.00 |
| 2503 | 2–16–10 | | | 4351 | 0.69 |
| 2504 | 1–19–10 | | | 4352 | 0.32 |
| 2499 | 4–19–0 | 2645 | [illegible] | [illegible] | 0.37 |
| | | 2644 | 1–[illegible] | [illegible]5 | 0.23 |
| | | | | [illegible]/7308 | 0.20 |
| 316 | 0–17–0 | 318 | [illegible] | [illegible]07 | 0.1[illegible] |
| 317 | 2–6–0 | 319 | 2–6–[illegible] | [illegible]404 | 0.3[illegible] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:00:09 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में पूसा पुत्र भूरा 4 हिस्सा व माणिया पुत्र हजारी 1 हिस्सा खामेदार के रूप में दर्ज थी। जिसका अंकन चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025–28 में अंकित है। पूसा पुत्र भूरा की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस वादी किशन है। आराजी मुतनाजा पर वादी पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी रहन होने के कारण नियमानुसार रहन मुक्त कर वंकिंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से बंदोबस्त विभाग द्वारा रहनकर्ता के नाम दर्ज कर दी। तथा गैर कानूनी तरीके से शून्य बैनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में कोदई खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी किशन व गवाह मुन्नालाल के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वा स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने आर.आर.डी. 1982 पेज संख्या 3 से 7 व 2021 (3) सी0जे0 उच्च न्यायालय पेज संख्या 909– 919 पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराडू के चौसाला खसरा नम्बर 2499, 2502, 2503, 2504, 316 व 317 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025–28 व 2021–24 में पूसा पुत्र भूरा 4 हिस्सा, माणिया पुत्र हजारी 1 हिस्सा राहिन मिलापचन्द व मदनलाल पि0 कुन्दनमल 1/2 हिस्सा व मानमल पुत्र घीसालाल महाजन 1/2 हिस्सा मुरतहनान के नाम दर्ज थी। जिससे स्पष्ट है कि वादी के पूर्वज उक्त आराजी के खातेदार थे जिनके द्वारा आराजी मुतनाजा रहन रखी गयी थी। उक्त आराजी के वंकिंग खसरा नम्बर 2649, 2644, 2645, 318 व 319 वंकिंग जमाबंदी में रहनकर्ता के पुत्र लादूलाल पुत्र मानमल के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी। चौसाला जमाबंदी में दर्ज वादी के पूर्वजो का नाम वंकिंग जमाबंदी में बिना किसी आदेश व कारण के हटा दिया गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्रात के [illegible] वंकिंग जमाबंदी में दर्ज खातेदार द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान [illegible] मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम खातेदारी [illegible] संख्या 6 के नाम रहन दर्ज कर दी गयी। जबकि रहनकर्ता /वारिस को आराजी मुतनाजा बैचान का कोई हक व अधिकार नही था। वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य भी पेश [illegible] है जिसमें आराजी

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:00:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा पर अपना कब्जा होने का कथन किया गया है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा सिद्ध होता है। बंदोबस्त विभाग द्वारा आराजी मुतनाजा पर चौसाला जमाबंदी का इन्दाज परिवर्तित कर दिया चौसाला जमाबंदी में भूमि रहन दर्ज थी। जिसे वर्किंग जमाबंदी में बिना किसी कारण रहनकर्ता के वारिस के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। आराजी मुतनाजा पर बंधक/रहन अवधि पूर्ण हों चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 अनुसार भी वाद के कथनों की ताईद होती है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण में चस्पा पाई जाती है। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 4394 व 4395 पर अनुतोष नही चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का विक्रय पत्र व प्रतिवादी संख्या 6 का रहननामा गैर कानूनी व त्रुटिपूर्ण होने से वादी के हितों पर बेअसर है। अतः वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4350 रकबा 1.00, 4351 रकबा 0.69, 4352 रकबा 0.32, 4394/7608 रकबा 0.20, 407 रकबा 0.14 व 404 रकबा 0.37 की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:00:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

**उनवान**

किशन बनाम मैना

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 50/2022
पेश करने की दिनांक – 20.04.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4350 रकबा 1.00, 4351 रकबा 0.69, 4352 रकबा 0.32, 4394/7608 रकबा 0.20, 407 रकबा 0.14 व 404 रकबा 0.37 की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 1 सन् 2023 को जारी की गयी।

---

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:00:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद